संख्या-266/2020/2542/22-2-2019-17(1150)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 जुलाई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5/दयायाचिका बैठक 06-08-2019 दिनांक 06-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लालता प्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद, मोहम्मद गंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.03.2001 को 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002 व 230/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436/149, 506, 148 एवं 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.10.2018 तक 17 वर्ष 07 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 05 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, दोनों पक्षों में विवाद अभी विद्यमान होने, समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिलास्तरीय समिति द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी लालता प्रसाद (बन्दी संख्या-39013) पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-266/2020/2542(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in